भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 416

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

मादक द्रव्यों का दुरुपयोग

416. श्री भोजराज नाग:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं कौन-सी हैं;

(ख) मादक पदार्थों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) छत्तीसगढ़ में ऐसे अवैध विक्रेताओं के विरुद्‌ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितने विक्रेताओं के विरुद्‌ध कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्‌वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नशीली दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए भारत सरकार द्‌वारा किए गए प्रयास **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग): छत्तीसगढ़ सरकार के आयुक्त (सीमा शुल्क) के कार्यालय द्‌वारा दी गई जानकारी के अनुसार,

i. अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्‌ध 26,378 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनसे 89,651 लीटर शराब जब्त की गई है और 17,699 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्‌ध कार्रवाई की गई है।

ii. अवैध नशीली दवा विक्रेताओं के विरुद्ध 26 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनसे 203.82 किलोग्राम नशीली दवाएं जब्त की गई हैं और 23 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक राज्य में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 1329 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2149 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से 24631 किलोग्राम गांजा, 990 गांजे के पौधे, 335.49 ग्राम ब्राउन शुगर, 13614.7 ग्राम अफीम, 187136 नशीली गोलियां, 5057 सिरप, 65993 कैप्सूल, 17085 इंजेक्शन और अन्य नशीली दवाएं जिनमें 129.5 ग्राम हेरोइन, 188 ग्राम कोकीन, 5757 ग्राम एमडीएमए, 90 एमडीएमए टैबलेट और 4215.8 किलोग्राम अफीम की भूसी (डोडा) जब्त किया गया है।

अनुबंध-I

''मादक द्रव्यों का दुरूपयोग'' पर लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 416 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीले पदार्थों के सेवन का समाधान करने के लिए, यह विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

i. निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।

ii. 'नशे की लत से ग्रस्त लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों, किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व प्रयास (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)'; और

iii. व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

2. एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं:

i. वर्तमान में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 350 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, 124 डीडीएसी और 125 एटीएफ को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जियो-टैग किया गया है।

ii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, '14446' का संचालन किया जा रहा है, ताकि उनकी हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4 लाख से अधिक कॉलें प्राप्त हुई हैं।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) चिन्हित किए गए 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था था और अब इसका विस्तार देश के सभी जिलों में किया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक संपर्क बनाना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर फोकस करते हुए नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

iv. अब तक, एनएमबीए के तहत शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से 14.07 करोड़ से अधिक लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 4.90 करोड़ से अधिक युवा और 2.93 करोड़ से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। 4.12 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने इस बात का सुनिश्चय किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँचे।

v. एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता क्रियाकलापों को आयोजित करने के लिए आर्ट ऑफ़ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज़, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vi. अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

vii. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) अभियान के बारे में उपयोगकर्ता/व्यूवर को एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और सूचना प्रदान करती है।

viii. 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ ली गई थी और 2 लाख से अधिक संस्थानों के कुल लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्रतिज्ञा में भाग लिया था।

अनुबंध-II

"मादक द्रव्यों का दुरूपयोग" पर लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 416 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

i. एनसीओआरडी की 5वीं शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक के परिणामस्वरूप, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित **एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)** की स्थापना की गई है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में कार्य करेगी और विभिन्न स्तरों पर एनसीओआरडी बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

ii. एनसीबी नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त अभियान चलाने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करती है।

iii. "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के तहत पात्र राज्यों को उनकी नशीले पदार्थ विरोधी इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

iv. सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी) और आरपीएफ तथा एनआईए जैसी अन्य एजेंसियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

v. भारत के भीतर और विदेशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और नियंत्रित डिलीवरी (सीडी) ऑपरेशन नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

vi. नशीली दवाओं के मार्गों पर गहन निवारक और प्रतिबंधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

vii. एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन "*मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र*" *(मानस)* को 24x7, टोल-फ्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में बनाया गया है। तदनुसार मानस की कल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और समाधान करने के लिए एकल मंच प्रदान करती है।

*****